<u>विज्ञापन</u>

भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र

इन्दौर, मध्य प्रदेश

<u>विज्ञापन संख्या: आरआरसीएटी-1/2021</u>

आरआरकैट ट्रेड अपरेंटिसशिप योजना (तसर)

अपरेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत ट्रेड प्रशिक्षुओं (अप्रेन्टिस) की भर्ती

दिनांक: 08 जुन, 2021

1. राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र (आरआरकैट), इन्दौर, मध्य प्रदेश में **अपरेंटिस अधिनियम, 1961** और **अपरेंटिसशिप नियम, 1992** के वर्तमान प्रावधानों के तहत **20** ट्रेड प्रशिक्षुओं (अप्रेन्टिस) के **आशुलिपिक और सचिवीय सहायक (अंग्रेज़ी) ट्रेड** में प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। बैच के शुरू होने की तिथि **1 सितम्बर, 2021** है। **प्रशिक्षुता की अवधि 1 वर्ष** है। आरआरकैट में ट्रेड अपरेंटिसशिप की यह योजना राष्ट्रीय अपरेंटिसशिप प्रवर्धन योजना (एन ए पी एस अथवा नैप्स) का एक भाग है।
2. इसके लिए दिनांक **15/06/2021 के सुबह 10:00 बजे से 12/07/2021 के अपराहन 15:00 बजे तक आरआरअरकैट अपरेंटिसशिप पोर्टल** पर आनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
3. अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़े वर्गों के गैर-मलाईदार परत (ओबीसी-एनसीएल) लिए आरक्षण अपरेंटिसशिप नियम 1992 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार होगी।
4. ऐसा प्रयास किया जाएगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए (गैर-मलाईदार परत) के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या अपरेंटिसशिप नियम 1992 के मौजूदा प्रावधानों में सुझाए गए अनुपात / प्रतिशत के अनुसार हो। **20 प्रशिक्षण स्थानों में से 3 अनुसूचित जाति के लिए, 4 अनुसूचित जनजाति के लिए, तथा 3 अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-मलाईदार परत) के लिए आरक्षित हैं।**
5. यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या उनके लिए आरक्षित प्रशिक्षण स्थानों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो रिक्त स्थानों को अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है। इसी तरह से यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या उनके लिए आरक्षित प्रशिक्षण स्थानों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो रिक्त स्थानों को अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है। इसके बाद भी यदि कुछ अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित प्रशिक्षण स्थानों को नहीं भरा जा सका तो इन प्रशिक्षण स्थानों को उन उम्मीदवारों से भरा जायेगा जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नहीं है।
6. यदि अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-मलाईदार परत) के उम्मीदवारों की संख्या उनके लिए आरक्षित प्रशिक्षण स्थानों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो रिक्त स्थानों को ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा भरा जा सकता है जो अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-मलाईदार परत) के नहीं हैं।
7. **आयु सीमा : उम्मीदवारों की उम्र 18 से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिये अर्थात उनकी जन्म तिथि का 01/09/1999 और 31/08/2003 के बीच होना अनिवार्य है।**
8. **वृतिका (स्टाइपेन्ड) की राशि:** वृतिका **₹ 7750 (रूपए सात हजार सात सौ पचास) प्रति माह** है।

9. **अप्रेन्टिस पंजीकरण:** सभी अभ्यर्थियों को नैप्स पोर्टल https://apprenticeshipindia.org/ पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।

10. **आवेदन प्रक्रिया:**

(क) **सभी अभ्यर्थियों को नैप्स प्रशिक्षुता पोर्टल https://apprenticeshipindia.org/ पर अपना पंजीकरण कराना होगा जो उल्लिखित ट्रेडों में प्रशिक्षुता के लिए भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मन्त्रालय की आधिकारिक वेब पोर्टल है।** आधार संख्या सहित सभी आंकड़े अभ्यर्थी को वहाँ भरने होंगे। पंजीकरण के समय, नैप्स पोर्टल पर अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियाँ भी अपलोड करनी होंगी-

(अ) जन्म तिथि प्रमाण-पत्र / 10वीं कक्षा उतीर्ण होने का प्रमाणपत्र

(आ) "शैक्षणिक योग्यता" के लिए 10वीं कक्षा की अंकसूची

(इ) "तकनीकी योग्यता" के लिए आईटीआई की अंकसूची

(ई) फोटोग्राफ

(उ) विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(ऊ) हस्ताक्षर

(ख) नैप्स पोर्टल पर पंजीकरण के पश्चात अभ्यर्थियों को आरआरकैट प्रशिक्षुता पोर्टल पर पंजीकरण करना चाहिए। आवेदन केवल आरआरकेट प्रशिक्षुता पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आरआरकैट प्रशिक्षुता पोर्टल पर आवेदन भरते समय नैप्स प्रशिक्षुता पोर्टल द्वारा अभ्यर्थी को दी गयी पंजीकरण संख्या अनिवार्य है।

(ग) राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र के अप्रेन्टिस पोर्टल पर जानबूझकर कपटपूर्ण और गलत सूचना देना एक गंभीर आपराधिक कृत्य है और इसके लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अधीन कारवाई की जा सकती है। इसलिए दृढ़ सलाह है कि इस तरह के प्रयास न किए जाए।

(घ) कोई भी प्रविष्टि करने या किसी भी विकल्प को चुनने के पहले उम्मीदवार को विज्ञापन में दिए गए सामान्य निर्देशों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी सभी आवश्यक विवरण भरें (अधूरा विवरण नहीं भरें) ।

(ङ) नाम और जन्मतिथि वही भरनी चाहिए जो माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र / 10वीं की परीक्षा के प्रमाणपत्र में अंकित हो। उम्मीदवारों को एनएपीएस अपरेंटिसशिप पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने के समय यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आधार कार्ड और एनएपीएस अपरेंटिसशिप पोर्टल दोनों में ही समान नाम और जन्म तिथि दर्ज़ हैं।

(च) आवेदन पत्र भरने से पहले, अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे 300 किलोबाइट आकार में, jpg / pdf प्रारूप में, निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतिलिपि तैयार रखें।

(अ) जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र

(आ) 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की अंकसूची तथा प्रमाणपत्र

(इ) आई टी आई की अंकसूची और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट

(ई) आधार कार्ड

(उ) पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो

(ऊ) हस्ताक्षर

(ए) जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(ऐ) विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(छ) अभ्यर्थी को उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार ही व्यक्तिगत, शैक्षिक और अन्य विवरण भरना होगा।

(ज) **उम्मीदवार आवेदन के तुरंत बाद अपने आधार कार्ड पर उल्लिखित पते का पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दें। यह दस्तावेज प्रशिक्षुता योजना में शामिल होने के लिए रिपोर्टिंग की तारीख पर आवश्यक होगा। इस प्रमाणपत्र के लिए कोई निर्दिष्ट प्रारूप नहीं है। उम्मीदवार इलाके में प्रचलित प्रारूपों का उपयोग कर सकते हैं।**

(झ) पोर्टल पर आवेदन जमा करने के बाद आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन / सुधार के लिए किए गये किसी भी अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि 'सबमिट' बटन पर क्लिक करने से पहले वे जाँच लें कि भरे गये सभी विवरण सही हैं। गलत सूचना देने पर अभ्यर्थी को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

(ञ) अंतिम जमा (सबमिशन) के बाद, आवेदन पत्र सिस्टम द्वारा जनित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र की सॉफ्ट कॉपी को सहेज लें (सेव कर लें) और सिस्टम द्वारा जनित आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें तथा इसे भविष्य के संदर्भ के लिए तैयार रखें।

(ट) दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र का प्रिंटआउट भी लाना होगा।

(ठ) गलत / अधूरा ऑनलाइन आवेदन तुंरत अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

11. चयन प्रक्रिया:

आवेदन पत्रों की छंटनी निम्नलिखित आधार पर की जाएगी:

(क) **अभ्यर्थी, वर्ष 2018 में या उसके बाद आईटीआई उत्तीर्ण होने चाहिए। वर्ष 2017 में या उससे पहले आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यार्थी आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।**

(ख) उम्मीदवार के पास आशुलिपिक और सचिवीय सहायक (अंग्रेजी) में आईटीआई प्रमाणपत्र होना चाहिए।

(ग) आईटीआई में प्रवेश लेने से पहले अभ्यर्थी 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को अवश्य उतीर्ण किया होना चाहिए तथा उस परीक्षा में कुल अंकों के कम से कम 50% अंक अवश्य प्राप्त किया होना चाहिए।

(घ) योग्यता सूची, 'आईटीआई में अंकों के प्रतिशत का एक तिहाई' और '10 वीं कक्षा में अंकों के प्रतिशत के दो तिहाई' के योग के आधार पर तैयार की जाएगी। इस योग को दशमलव के दो स्थानों तक राउंड ऑफ किया जाएगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के योग समान आ गये तो उस अभ्यर्थी को उच्चतर रैंक दिया जाएगा जिसका 10 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में अंकों का प्रतिशत अधिक हो।

(ङ) योग्यता सूची **16/07/2021** को आरआरकैट के प्रशिक्षुता पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।

(च) इस योग्यता सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम आया है उन्हे **22/07/2021 को या उससे पहले** यह पुष्टी (कन्फर्म) करनी होगी कि वे प्रशिक्षुता में भाग लेने के इच्छुक हैं। इसकी पुष्टि के लिए उनको ई-मेल के द्वारा एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने लॉगिन और पासवर्ड का रिकॉर्ड रखना चाहिये क्योंकि पुष्टि के लिए उन्हें इनकी आवश्यकता होगी। अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे आरआरकैट के प्रशिक्षुता पोर्टल और अपना ई-मेल नियमित देखेते रहें। **आर आर कैट में ट्रेड अप्रेंटिसशिप योजना में शामिल होने की पुष्टि करने वाले सभी उम्मीदवार तुरंत अपने आधार कार्ड में उल्लिखित पते का पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया पर नज़र रखना शुरू कर दें। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यह एक अनिवार्य दस्तावेज है।**

(छ) उपरोक्त भागीदारी की पुष्टि तथा रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए दिनांक **27/07/2021** को अंतिम योग्यता सूची प्रकाशित की जाएगी।

(ज) जिन अभ्यर्थियों का नाम अन्तिम योग्यता सूची में आया होगा उन्हें **दिनांक 23/08/2021 को सुबह 10:00 बजे** व्यक्तिगत रूप से आरआरकैट में दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। निम्नलिखित दस्तावेज भौतिक रूप से सत्यापित किए जाएंगे:

(अ) 10 वीं बोर्ड परीक्षा की अंकसूची और प्रमाण-पत्र

(आ) आईटीआई की अंकसूची तथा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट

(इ) जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)

(ई) विकलांगता प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)

(उ) आधार कार्ड

(ऊ) **आधार कार्ड पर उल्लिखित पते का पुलिस सत्यापन का प्रमाण-पत्र**

(ए) बचत बैंक खाता संख्या तथा पास-बुक

(ऐ) राष्ट्रीय प्रशिक्षुता पोर्टल पर पंजीकरण पुष्टिकरण ईमेल की कागजी प्रतिलिपि (हार्ड कॉपी)

(ओ) ऑनलाइन आवेदन पत्र की कागजी प्रतिलिपि

(औ) उपरोक्त सभी दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी

(अं) हाल ही में ली गयीं पासपोर्ट आकार वाली दो फोटो ।

(झ) यदि कुछ चयनित अभ्यर्थी दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए नहीं आते हैं, या उनके दस्तावेज सही नहीं पाए गये, या वे प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं; तो योग्यता सूची में उनके बाद आने वाले अभ्यर्थियों को अविलम्ब अवसर दे दिया जाएगा।

(ञ) अभ्यर्थियों की चिकित्सीय जांच **23/08/2021 से 31/08/2021 तक** आयोजित की जाएगी।

(ट) दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को नैप्स प्रशिक्षुता पोर्टल के माध्यम से उसी समय प्रस्ताव पत्र जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी को उसी समय तुरन्त प्रस्ताव को स्वीकार / अस्वीकार करना होगा।

(ठ) अभ्यर्थियों को **01/09/2021** को आरआरकैट में रिपोर्ट करना होगा तथा प्रशिक्षुता कार्यक्रम में शामिल होना होगा; अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और माना जाएगा कि उनको

दिया गया प्रस्ताव वापस ले लिया गया है। आरआरकेट, मामले की योग्यता के आधार पर, किसी योग्य अभ्यर्थी को प्रशिक्षुता कार्यक्रम में देर से शामिल होने की अनुमति देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(ड) यदि किसी चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेज ठीक पाए जाते हैं लेकिन वह प्रस्ताव प्राप्त करने में विफल रहता है; तो उसे प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को कुछ दिन बाद भी प्रस्ताव दिए जा सकते हैं।

(ढ) यदि सभी रिक्तियाँ भरी न जा सकीं तो अग्रलिखित स्थितियों में प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को प्रशिक्षुता बैच में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा-(अ) उम्मीदवारी वापस लेना, या (आ) अगर कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने पहले प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है लेकिन **01/09/2021** को आरआरकैट में नहीं आये।

(ण) **यदि आवश्यक हुआ तो किसी बाद की तारीख से प्रशिक्षुता कार्यक्रम में शामिल होने के लिये नयी पूरक योग्यता सूची भी जारी की जा सकती है।**

12. सामान्य निर्देश

(क) उम्मीदवारों के साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

(ख) किसी भी रूप में पक्ष-प्रचार (कैनवासिंग) करने पर उम्मीदवारी रद्द कर कर दी जाएगी।

(ग) दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन में भाग लेने के लिए, या प्रशिक्षुता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, कोई यात्रा भत्ता / महंगाई भता नहीं दिया जाएगा।

(घ) यह सहभागिता और प्रशिक्षण, अपरेंटिस अधिनियम 1961 तथा अपरेंटिसशिप नियम 1992 के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन करता है।

(ङ) **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण पूरा होने पर नियमित रोजगार प्रदान करने की कोई बाध्यता नहीं है।** आरआरकैट में रोजगार की प्रक्रिया अलग तरह से आयोजित होती है जिसमें प्रशिक्षु भाग ले सकता है, यदि वह योग्य है।

(च) जो लोग पहले से ही ट्रेड प्रशिक्षुता में भाग ले चुके हैं, उन्हें उसी ट्रेड में प्रशिक्षुता के लिये विचार नहीं किया जाएगा।

(छ) चयनित उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा आरआरकैट स्वयं आयोजित करेगा। यह माना जाएगा कि जिस अभ्यर्थी ने आरआरकैट में ट्रेड प्रशिक्षु के लिए आवेदन किया है, उसे यह शर्त स्वीकर है।

(ज) प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को आवास प्रदान नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षु अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करेंगे। आरआरकैट, इन्दौर शहर के नगरपालिका क्षेत्र में स्थित है और आस-पास के क्षेत्रों में साझा / व्यक्तिगत आवास आसानी से उपलब्ध हैं।

(झ) प्रशिक्षुओं को अपने आने-जाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(ञ) आरआरकैट परिसर में छूट प्राप्त (सब्सिडाइज्ड) / मुफ्त भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ट) आरआरकैट ट्रेड प्रशिक्षण के संचालन के साथ-साथ इसका मूल्यांकन भी करेगा जिसकी आवृत्ति और अवधि, प्रशिक्षण-प्रभारी तय करेंगे। प्रशिक्षुओं को 'ऑन-जॉब व्यावहारिक प्रशिक्षण' के समय अपने ट्रेड को सीखने की इमानदार कोशिश करनी चाहिये तथा समय-समय पर होने वाले आकलन में संतोषजनक प्रदर्शन करना चाहिए। यह माना जाता है कि ट्रेड प्रशिक्षुओं के पास वह कौशल

विद्यमान है जिसे उन्होने अपने आईटीआई प्रशिक्षण के दौरान सीखा था। आन्तरिक मूल्यांकन में यदि किसी ने लगातार खराब प्रदर्शन किया तो प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 और अपरेंटिसशिप नियम 1992 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार प्रशिक्षुता को समाप्त किया जा सकता है।

(ठ) शिक्षण का माध्यम हिंदी / अंग्रेजी होगा। शिक्षण का माध्यम कुछ भी हो किन्तु शिक्षण के दौरान आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी शब्दावली का उपयोग किया जाएगा।

(ड) आरआरकेट भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का एक प्रतिष्ठान है। यह परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 जैसे विशेष प्रावधान द्वारा शासित है। इसके कर्मचारी असैनिक कर्मचारी हैं और उपर्युक्त अधिनियम तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 से बंधे हैं। आचरण और अनुशासन के सभी मामलों में, प्रशिक्षु आरआरकेट में प्रचलित नियमों और विनियमों द्वारा शासित होगा।

(ढ) प्रशिक्षु के लड़ाकू, बेइमान, बिलम्बकारी और पलायनवादी व्यवहार से इस प्रशिक्षण योजना के परिणाम बाधित होंगे। इसलिए, यदि ऐसी घटनाएं आरआरकेट प्राधिकारियों के ध्यान में लायी जातीं हैं तथा तीन आधिकारिक ज्ञापन (मेमो) देने के बाद भी प्रशिक्षु स्वयं में सुधार नहीं करता है तो उसकी प्रशिक्षुता को प्रशिक्षु सलाहकार के परामर्श से समाप्त किया जा सकता है।

(ण) यदि प्रशिक्षु के अनुबन्ध की शर्तों को पूरा न करने के कारण प्रशिक्षुता का अनुबन्ध समाप्त किया जाएगा, उस स्थिति में प्रशिक्षु आर आर कैट को प्रशिक्षण के मूल्य के रूप में उतनी धनराशि वापस देगा जितनी अप्रेन्टिस सलाहकार तय करेंगे। ऐसी स्थिति में, अपरेंटिसशिप अधिनियम 1961 के अनुसार, ऐसे प्रशिक्षु किसी भी अन्य संस्थान के साथ अपरेंटिसशिप के दूसरे अनुबन्ध में प्रवेश करने के हकदार नहीं होंगे।

(त) प्रशिक्षण की अवधि पूरी करने वाले सभी प्रशिक्षु नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (एनसीवीटी) संचालित अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षा (ए आई टी टी) देंगे, ताकि वे जान सकें कि जिस ट्रेड में उन्होने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसमें वे कितने प्रवीण हैं।

(थ) एआईटीटी उतीर्ण करने पर एनसीवीटी द्वारा ट्रेड में प्रवीणता का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

13. महत्वपूर्ण तिथियों का सारांश:

#	**घटना**	**आरंभ करने की तिथि**	**समाप्ति तिथि**
(क)	जन्म की तारीख	1 सितम्बर 1999	31 अगस्त 2003
(ख)	उम्मीदवारों द्वारा आवेदन	15 जुन 2021	12 जुलाई 2021
(ग)	योग्यता सूची की घोषणा	16 जुलाई 2021	-------------
(घ)	चयनित उम्मीदवारों द्वारा पुष्टि	16 जुलाई 2021	22 जुलाई 2021
(ङ)	अंतिम योग्यता सूची की घोषणा	27 जुलाई 2021	-------------
(च)	दस्तावेज़ सत्यापन के लिए रिपोर्टिंग	23 अगस्त 2021	-------------
(छ)	दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल परीक्षण	23 अगस्त 2021	31 अगस्त 2021
(ज)	प्रशिक्षुता की अवधि	1 सितम्बर 2021	31 अगस्त 2022

सहायक कार्मिक अधिकारी (नियुक्ति)